

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

उमवान सरकार बनाम

मुकदमा नं० निर्णय दि०.....

18-6-72

पञ्जाली पेशा / वकील वादी उपाय / वार्ता
साक्ष्यवादी हेतु दि० 12-7-72 को पेशा हो

12-7-72

पञ्जाली पेशा / वकील वादी उपाय / साक्ष्यवादी हेतु
कॉन्सिडर उपाय दिना मकर दि० 27-7-72 को
पेशा हो

27-7-72

पञ्जाली पेशा / वकील वादी उपाय / साक्ष्यवादी हेतु
कर वरुण दावा हेतु कि वकील वादी उपाय
व्यक्त दावा खती गई।

पञ्जाली के तथ्य संश्लेषण प्रकार है कि
ग्राम कालवान के ख.न. 69, 908, 909, 910
में सुलदाविषा ग्राम लिखत है जिसमें वादीगण
का हिस्सा 1/2 रह है प्रतिवादीगण संख्या
1ल 8 द्वारा एक न्यायालय गिरौट बनाकर
वादीगण की ग्राम पर लाठी के बल पर
कब्जा करने के आदि रहे हैं एवं वादीगण
को उक्त ग्राम से बेदखल करना चाहते हैं
व्यतिरिक्त वादीगण प्रतिवादी सं. 1ल 8 को
जलिर खासी मित्रों से प्रतिबंधित करने के आदेश

व्यतिरिक्त तथ्यों पर गौर कि भा / पञ्जाली का अवलोकन
कि भा / व्यक्त का मनन कि भा /

अतः ग्राम कालवान के ख.न. 69, 908, 909, 910
वादीगण की ग्राम में प्रतिवादीगण 1ल 8 को खासी
मित्रों से प्रतिबंधित कि भा जाता है कि वादीगण को
ग्राम में किसी भी प्रकार के कब्जे कारत में (कालवान)
या व्यवधान पैदा ना करे। निर्णय में द्वारा लिखता भा
मुले न्यायालय में सुनाया भा / पञ्जाली न्यायालय में सुनाया

उपनिर्देश
जिला